813

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

नि.प्र.क्रं. I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4438 सन् 2017

1– भारत उदय सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था

द्वारा अध्यक्ष राहुल त्रिपाठी तनय दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी,

नि0 बड़ी कुंजरहटी छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0

2– श्रीमती लल्लाबाई कुशवाहा पत्नि प्यारेलाल कुशवाहा

नि0 जेल रोड छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 ----------निगरानीकर्तागण

बनाम

1– मुस. लाड़कुँवर बेवा हरीचरन कुशवाहा

2– कृष्ण कुमार तनय स्व. हरीचरन कुशवाहा

3– गोविन्द तनय स्व. हरीचरन कुशवाहा

4– पवन तनय स्व. हरीचरन कुशवाहा

5– हृदेश तनय स्व. हरीचरन कुशवाहा

समस्त निवासीगण वार्ड नं. 15 छतरपुर म.प्र. ------------प्रत्यर्थीगण

श्री मुकेश भार्गव, अभि0 द्वारा आज दि 13-11-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 13-11-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
117 एडवोकेट
ग्वालियर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0सं0 निगरानी विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के प्र.क्रं. 24/अपील/बी–121/2016–17 मे पारित आदेश दिनांक 31.10.2017

महोदय,

निगरानीकर्तागण की निम्न विनय है :–

1– यह कि निगरानीकर्तागण ग्राम छतरपुर के निवासी है जहाँ निगरानीकर्तागण के नाम भूमि खसरा नं. 2975, 2973/2, 2970/2, 2977/2, 2979/2, 2976/2, 2980/3, 2988 एवं 2989 किता– 09 स्थित ग्राम छतरपुर में से 0.327 है0 निगरानीकर्ता क्रं0–1 एवं 0.49 है0 भूमि निगरानीकर्ता क्रं0 02 के नाम शामिल खाते मे दर्ज है।

2– यह कि निगरानीकर्ता क्रं0–01 द्वारा निगरानीकर्ता क्रं0–2 द्वारा [illegible] निगरानीकर्ता क्रं0–02 से उपरोक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2015 द्वारा क्रय की थी जिसका नामांतरण तहसील महोदय के प्र.क्रं. 637/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4438

भातर उदय सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था विरूद्ध मुस. लाड़कुँवर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 24/अपील/बी-121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 31-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 13-11-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

24.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य